बिहार सरकार
गृह विभाग
सैनिक कल्याण निदेशालय

का0आ0 / सै0क0नि0 / 11 / 03 / 2014 / 444 / पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

कार्यालय आदेश संख्या / 15 / 2017

दिनांक 17.01.2017 को हुई राजकीय प्रबंध समिति की 20वीं बैठक की कार्यवाही की मद संख्या 3.2 में निहित निर्णय के आलोक में भूतपूर्व सैनिक (जे0 सी0 ओ0 एवं इसके समतुल्य रैंक के स्तर तक) के मृत्योपरांत उनके विधवा का पुनर्विवाह हेतु अनुदान के रूप में 1,00,000 / –रू0 की राशि विधवा के माता–पिता को देने की स्वीकृति दी जाती है।

2. इस योजना के लिए आवेदन पत्र की प्रति संलग्न की जाती है।

3. यह आदेश राजकीय प्रबंध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की तिथि यथा 17.01.2017 से प्रभावी होगा तथा यह व्यय "विशेष कोष (सैनिक कल्याण फंड)" से किया जायेगा।

ह0/-
(देव नारायण मंडल)
निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0 / 11 / 03 / 2014 / .... / पटना–23, दिनांक अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, महामहिम के प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना / प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
निदेशक

ज्ञापांक : सै0 क0 नि0 / 11 / 03 / 2014 / 444 / पटना–23, दिनांक 7 अप्रैल 2017

प्रतिलिपि, सभी जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी को निर्धारित आवेदन पत्र संलग्न करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक 7.4.17

दूरभाष / फैक्स-0612-2281016
ई–मेल–directorsknbihar@gmail.com

प्रारूप

(07)

रजि० / स्पीड पोस्ट

पत्र संख्या : सै०क०नि० / 26 / 02 / 2018 / 868

बिहार सरकार

सैनिक कल्याण निदेशालय

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक–2, द्वितीय तल, पटना–800015

प्रेषक,

कर्नल दिलीप प्रसाद, एस. एम.
निदेशक

सेवा में,

जिला सैनिक कल्याण पदाधिकारी,
पटना, भोजपुर (आरा), छपरा, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, गया, बक्सर, रोहतास (सासाराम), सिवान एवं हाजीपुर (वैशाली)।

पटना–15, दिनांक 24 अगस्त 2018

विषय : **विधवा पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु अनुमोदित प्रपत्र भेजने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विधवा पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र एवं चेक लिस्ट निदेशक द्वारा अनुमोदित प्रपत्र की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में ही विधवा पुनर्विवाह हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाय।

2. कृपया पावती भेजें।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

24/8/2018

(कर्नल दिलीप प्रसाद)
निदेशक

23.8.2018

दूरभाष / फैक्स–0612–2217013
ई–मेल–directorsknbihar@gmail.com
Toll Free No-18003456207

विधवा पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता हेतु आवेदन–पत्र

खण्ड – "क"

(आवेदक/आवेदिका द्वारा भरा जायेगा)

1. आवेदक (पिता)/आवेदिका (माता) का नाम..

2. आवेदक/आवेदिका की पुत्री (विधवा) का नाम (जिनकी पुनर्विवाह हुआ है) :..
आयु.............

3. आवेदक/आवेदिका की पुत्री के स्व0 पति का न0..........................रैंक..................नाम..............................
(क) स्थायी पता (डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के आधार पर)
ग्राम................................पोस्ट...............................जिला.................................

4. आवेदक/आवेदिका की पुत्री (विधवा) के पति की मृत्यु की तिथि :..
(मृत्यु प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

5. आवेदक/आवेदिका की पुत्री के जन्म तिथि...

6. आवेदक/आवेदिका की पुत्री का प्रथम विवाह की तिथि :..

7. आवेदक/आवेदिका की पुत्री (विधवा) के पुनर्विवाह विवाह की तिथि :..
(विवाह निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करें)

8. वर का नाम, आयु एवं पता (जिनके साथ पुनर्विवाह हुआ है) नाम...आयु.............
ग्राम................................पोस्ट........................जिला...
(आवेदन पत्र जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में शादी की तिथि से तीन माह बाद तक की अवधि के अन्तर्गत प्राप्त होने पर ही अनुदान देय है। (किसी भी परिस्थिति में लड़की की आयु 18 वर्ष से कम एवं लड़के की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए अन्यथा आर्थिक सहायता देय नहीं होगा)

9. आवेदक/आवेदिका के बैंक खाता से संबधित जानकारी–
(क) बैंक खाता संख्या :...............................
(ख) **IFSC Code** :...............................
(ग) बैंक के शाखा का नाम :...............................
(घ) आधार खाता संख्या :...............................

10. मैं प्रमाणित करता/करती हैं कि उपर्युक्त विवरण सही है। यदि भविष्य में उपरोक्त वर्णित सूचना में विसंगति पाई गई तो मैं प्राप्त होने वाली राशि एकमुश्त वापस कर दूंगा/दूंगी।

आवेदक/आवेदिका का हस्ताक्षर
पहचान पत्र संख्या.......................
तिथि :..............................
दूरभाष/मोबाईल संख्या..............................

विधवा पुनर्विवाह के लिए आर्थिक सहायता से संबंधित

चेक लिस्ट

क्रमांक	आवेदक/आवेदिका का नाम	स्व० सैनिक के डिस्चार्ज बुक की छायाप्रति। यदि भू० पू० सैनिक की मृत्यु सेवा निवृत्ति के बाद हो तो मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है या नही	भूतपूर्व सैनिक के मामले में विकलांगता की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है या नही	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय द्वारा निर्गत पहचान पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नही	वर-वधु की आयु से संबंधित अभिलेख से संबंधित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नही	विवाह निबंधन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति जिसमें वर-वधु की संयुक्त फोटोग्राफ संलग्न है या नही	जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की तिथि अंकित है या नही	पारिवारिक विवरणी की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न है या नही	पासबुक का पहला पेज जिसमें IFSC कोड हो संलग्न है या नही	आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न है या नही	सभी अभिलेख/प्रमाण पत्र अभिप्रमाणित है या नही	अभ्युक्ति

कल्याण व्यवस्थापक/प्रभारी के नाम एवं हस्ता

Scanned with CamScanner